राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –684 / 2014 / भीलवाडा

मैसर्स रामपाल शर्मा भीलवाड़ा ....अपीलार्थी.

बनाम्

अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा

.........प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

अनुपस्थित (लिखित एकपक्षीय बहस सुनी गई) ....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री आर.के.अजमेरा

उप–राजकीय अभिभाषक। ....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

दिनांक : 16.05.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा गया है) के द्वारा अपील सं. 41 / वैट / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलीर्थी व्यवहारी द्वारा अलौच्य अवधि वर्ष 2011–12 में बिना EC के कार्य संविदा के कार्य निष्पादित किये गये। जिसमें व्यवहारी द्वारा बताई गयी अपंजीकृत खरीद को कम मानते है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपंजीकृत खरीद की राशि बढ़ते हुए कुल कर के 1754 / –रूपये का आरोपण किय गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.01.2014 को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचीत अवसर प्रदान किया जाये। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.01.2014 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3 अपीलार्थी द्वारा प्रेषित लिखित बहस पत्रावली पर मौजूद है। अपीलार्थी व उनके अभिभाषक अनुपस्थित है। अपीलार्थी की लिखित बहस को उनका कथन मानते हुए उपस्थित विद्वान उपराजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

4 बहस के दौरान विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

16/05/17

लगातार......................2

5 विद्वान उपराजकीय अभिभाषक की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध लिखित बहस पर मनन व अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का विशिष्ठ नोटिस जारी न करने के कारण प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए पुनः सुनवाई का अवसर पुनः देकर निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये गयें। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व करारोपण करने से पुर्व किसी भी प्रकार का विशिष्ठ नोटिस जारी नहीं किया गया है। इसी कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

6. परिणास्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21.01.2014 की पुष्टि कर यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय सुनाया गया।

16/05/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य